सत्र समीक्षा

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का ग्यारहवां सत्र

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का ग्यारहवां सत्र सोमवार, दिनांक 26 अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् ....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त, 2013 को राष्ट्रगान 'जन गण मन......' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। इस सत्र का सत्रावसान दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
ग्यारहवां सत्र	04	अगस्त माह - 26, 27, 29 एवं 30

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 68 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 1001 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। प्राप्त प्रश्नों में से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 398 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 55 तारांकित प्रश्न, प्रश्न-सूची में सूचीबद्ध किये गये। 26 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 10-10 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 5 सदस्यों ने 9-9, श्री पेमाराम ने 8, 3 सदस्यों ने 7-7 तथा शेष 19 सदस्यों ने 6 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्रीमती निर्मला सहरिया तथा श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ने सर्वाधिक 10-10 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि शेष महिला सदस्यों में श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' ने एक तारांकित प्रश्न प्रस्तुत किया। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 3-3 प्रश्न 8 सदस्यों के थे जिनमें महिला सदस्य श्रीमती किरण माहेश्वरी भी शामिल हैं।

उक्त के अतिरिक्त 603 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 63 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध हुए। 13 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 20-20 प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती निर्मला सहरिया ने अधिकतम 20 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि श्रीमती किरण माहेश्वरी तथा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने 19-19 प्रश्न प्रस्तुत किये। इस प्रकार छह सदस्यों ने 19-19, दो सदस्यों ने 18-18 तथा शेष 39 सदस्यों ने 17 या इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। अतारांकित प्रश्नों में से सर्वाधिक 5-5 प्रश्न महिला सदस्य श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं श्रीमती निर्मला सहरिया सहित श्री पानाचन्द के सूचीबद्ध हुए।

प्राप्त प्रश्नों के विभागानुसार विश्लेषण के अनुसार तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 40 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 36 प्रश्न शिक्षा तथा 29-29 प्रश्न ऊर्जा विभाग और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी

विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 6-6 प्रश्न राजस्व तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा 4 प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 62 प्रश्न शिक्षा विभाग, 51 प्रश्न ऊर्जा विभाग, 49 प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग, तथा 44 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 9 प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग, 5-5 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से सम्बन्धित थे।

यदि दलवार विश्लेषण किया जाये तो ग्यारहवें सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 310 तारांकित प्रश्नों में से 34 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50 में से 12, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 28 में से 6 तथा समाजवादी पार्टी के 10 में से 3 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिये गये 453 प्रश्नों में से 40 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 में से 19, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 48 में से 4 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। समाजवादी पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत 2 अतारांकित प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाये तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 41 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा 82 अतारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। शेष पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 357 तारांकित प्रश्नों में से 48 तथा 521 अतारांकित प्रश्नों में से 52 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 58 तारांकित प्रश्नों में से 6 तथा 31 अतारांकित प्रश्नों में 5 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 24 तारांकित प्रश्नों में से 5 तथा 10 अतारांकित प्रश्नों में से 2 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। निर्दलीय महिला सदस्यों ने कोई प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया।

सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। सर्वाधिक 8 प्रश्नों पर दिनांक 29 अगस्त, 2013 को चर्चा हुई।

स्थगन प्रस्ताव

ग्यारहवें सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 31 माननीय सदस्यों के 48 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई, इनमें से 9 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभ्युक्ति दी गई।

स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 29 सदस्यों ने 44 प्रस्ताव तथा माकपा के 2 सदस्यों ने 4 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। भारतीय जनता पार्टी की दो महिला सदस्यों श्रीमती अनिता भदेल एवं श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल द्वारा क्रमशः 3 एवं 2 कुल 5 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। पुरुष सदस्यों में श्री अमरा राम एवं श्री रामहेत सिंह यादव ने सर्वाधिक 3-3 प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में 34 माननीय सदस्यों की ओर से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 34 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से 22 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया तथा 12 सूचनाओं को सदन में पढ़ा हुआ माना गया। दिनांक 29 अगस्त, 2013 को श्री देवीसिंह भाटी द्वारा प्रस्तुत सूचना पर राजस्व मंत्री श्री हेमाराम चौधरी ने अभ्युक्ति दी। प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 28 सदस्यों ने, माकपा के 3 सदस्यों ने तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, निर्दलीय एवं जनता दल (यू) के एक-एक सदस्य ने सूचना प्रस्तुत की। सभी 34 सदस्यों द्वारा एक-एक सूचना प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत सूचनाओं में से 6 सूचनायें महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की 5 सदस्याओं ने तथा निर्दलीय श्रीमती गोलमा देवी ने सूचना प्रस्तुत की।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से 10 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 10 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई जिनमें से 4 विषयों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभ्युक्ति दी गई। भारतीय जनता पार्टी के 8 सदस्यों तथा निर्दलीय एवं माकपा के एक-एक सदस्य द्वारा पर्ची के माध्यम से विषय सदन में उठाये गये। सभी 10 सदस्यों द्वारा एक-एक विषय सदन में उठाया गया। विषय उठाने वाले 10 सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी की तीन महिला सदस्य थीं।

कार्यवाही का स्थगन

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 27 अगस्त, 2013 को प्रश्न काल की समाप्ति के उपरांत राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेअर 'विधान सभा कार्यवाही वृत्तांत सूचना प्रणाली' को लॉन्च किये जाने के कार्यक्रम के आयोजन के लिए सदन की बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की गई।
2. दिनांक 29 अगस्त, 2013 को सदन में विशेषाधिकार हनन के गम्भीर मामले में विचार के दौरान मुख्य सचिव/महानिदेशक, पुलिस के अनुपस्थित होने के कारण उनकी उपस्थिति हेतु सदन की बैठक मध्याह्न पश्चात् 3 बजकर 33 मिनिट पर आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई।

सदन से बहिर्गमन

1. दिनांक 27 अगस्त, 2013 को श्री गुलाब चन्द कटारिया, नेता प्रतिपक्ष ने कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 के पुरःस्थापन के दौरान विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन नहीं होने तथा इस बाबत वित्त के प्रावधान नहीं होने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ विपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

समीक्ष्य सत्र के दौरान दिनांक 29 अगस्त, 2013 को डॉ. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 'राजस्थान विधान सभा की महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति

के दिनांक 19.7.2010 को महिला थाना, गांधीनगर का आकस्मिक निरीक्षण करने के दौरान सुश्री रत्ना गुप्ता, थाना अधिकारी, महिला थाना (पूर्व), जयपुर द्वारा महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति को चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने, समिति के सभापति एवं सदस्यों के साथ किये गये अशिष्ट एवं अभद्र व्यवहार के फलस्वरूप सुश्री रत्ना गुप्ता के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव से सम्बन्धित विशेषाधिकार समिति, 2013-14 का प्रतिवेदन जो दिनांक 27 अगस्त, 2013 को उपस्थापित किया गया था, पर विचार किया जाये।'

सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर 7 सदस्यों तथा नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री शांती कुमार धारीवाल और सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भरत सिंह ने विचार व्यक्त किये।

माननीय अध्यक्ष ने विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के पैराओं का उल्लेख करते हुए पुलिस महानिदेशक की भर्त्सना की एवं आईजी के सदन में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की तथा प्रतिवेदन में जिन-जिन स्थानों पर लेकुना रहे हैं, उन पर कार्यवाही लम्बित रहने का निर्णय दिया।

विचार-विमर्श के पश्चात् डॉ. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 'मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन विशेषाधिकार समिति, 2013-14 के प्रथम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को अंगीकार करते हुए संकल्प करता है कि सुश्री रत्ना गुप्ता, तत्कालीन थानाधिकारी, महिला थाना, गाँधी नगर (पूर्व), जयपुर द्वारा राजस्थान विधान सभा की महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति को चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं करवा कर समिति के सभापति व सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार की दोषी है। यही नहीं, विशेषाधिकारी समिति द्वारा सुश्री रत्ना गुप्ता को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए चार बार पत्र प्रेषित किये गये तथा वारंट भी जारी किया गया परन्तु उन्होंने जानबूझ कर विशेषाधिकारी समिति के आदेशों की अवज्ञा करते हुए समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होकर विशेषाधिकार समिति का अवमान करने की दोषी है। साथ ही सुश्री रत्ना गुप्ता ने राजस्थान विधान सभा की महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति तथा विशेषाधिकार समिति के विशेषाधिकारों का भी हनन किया है। अतः सुश्री रत्ना गुप्ता, तत्कालीन थानाधिकारी, महिला थाना, गाँधी नगर (पूर्व), जयपुर को तीस दिवस के कठोर कारावास की सजा दी जाये और उन्हें जेल भेज दिया जाये।।' सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत किया गया।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

ग्यारहवें सत्र के दौरान जन लेखा समिति के 33, राजकीय उपक्रम समिति के 10, कार्य सलाहकार समिति के 2, तथा प्राक्कलन समिति 'ख' एवं विशेषाधिकार समिति का एक-एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया। दिनांक 27 अगस्त, 2013 को राजस्थान जल संसाधन विनियामक आयोग विधेयक, 2013 पर गठित प्रवर समिति ने भी अपना प्रतिवेदन उपस्थापित किया।

वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान तथा अतिरेक मांगों का उपस्थापन एवं मतदान

ग्यारहवें सत्र में दिनांक 27 अगस्त, 2013 को श्री शांती कुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने वर्ष 2013-14 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) का उपस्थापन किया जिसे दिनांक 29 अगस्त, 2013 को आसन द्वारा मुखबंद का प्रयोग कर सदन द्वारा पारित किया गया।

दिनांक 29 अगस्त, 2013 को वर्ष 2009-2010 के लिए प्रस्तुत की गई अतिरेक की मांगों को भी मुखबंद का प्रयोग कर सदन द्वारा पारित किया गया।

विधायी कार्य

(क) प्रवर समिति के कार्यकाल में बढ़ोतरी एवं प्रतिवेदन का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 27 अगस्त, 2013 को श्री हेमाराम चौधरी, सभापति, राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013 पर गठित प्रवर समिति ने प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया, जिस पर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

इसी दिवस श्री हेमाराम चौधरी, सभापति, राजस्थान जल संसाधन विनियामक आयोग विधेयक, 2013 पर गठित प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन का सदन में उपस्थापन किया।

(ख) अध्यादेश

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 26 अगस्त, 2013 को निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये-

1. महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 6)
2. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 7)
3. वी.आई.टी. विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 8)
4. कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 9)
5. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 10)
6. मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 11)
7. राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 12)

8. राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 13)
9. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 14)
10. टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 15)
11. ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 16)
12. जगदगुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 17)
13. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 18)
14. राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 19)
15. अजमेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 20)

(ग) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है -

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
21/2013	राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2013	29.8.2013	29.8.2013	29.8.2013
22/2013	राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2013	29.8.2013	29.8.2013	29.8.2013
23/2013	राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013	26.8.2013	27.8.2013	27.8.2013
24/2013	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013	26.8.2013	27.8.2013	27.8.2013
25/2013	स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013	26.8.2013	27.8.2013	27.8.2013
26/2013	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013	26.8.2013	27.8.2013	27.8.2013

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
27/2013	जगदगुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013	26.8.2013	27.8.2013	27.8.2013
28/2013	राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013	26.8.2013	29.8.2013	29.8.2013
29/2013	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013	26.8.2013	27.8.2013	27.8.2013
30/2013	वी.आई.टी. विश्वविद्यालय,जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013	26.8.2013	27.8.2013	27.8.2013
31/2013	कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013	26.8.2013	27.8.2013	27.8.2013
32/2013	ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013	27.8.2013	29.8.2013	29.8.2013
33/2013	मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013	26.8.2013	27.8.2013	27.8.2013
34/2013	टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013	26.8.2013	27.8.2013	27.8.2013
35/2013	राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013	26.8.2013	27.8.2013	27.8.2013
36/2013	राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं विधेयक, 2013	27.8.2013	29.8.2013	29.8.2013
37/2013	अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013	27.8.2013	29.8.2013	29.8.2013
38/2013	राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013	27.8.2013	30.8.2013	30.8.2013
39/2013	कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013	27.8.2013	30.8.2013	30.8.2013
40/2013	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013	27.8.2013	30.8.2013	30.8.2013
41/2013	कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013	27.8.2013	30.8.2013	30.8.2013
42/2013	मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013	27.8.2013	30.8.2013	30.8.2013
43/2013	राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013	27.8.2013	30.8.2013	30.8.2013

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
44/2013	बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013	30.8.2013	-	-
20/2012	राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012*	14.4.2012	29.8.2013	29.8.2013

* प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक।

शोकाभिव्यक्ति

ग्यारहवें सत्र में दिनांक 26 अगस्त, 2013 को सदन में निम्नांकित के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

क्र.	नाम	पद	निधन की तिथि
1.	श्रीमती मार्ग्रेट थैचर	पूर्व प्रधान मंत्री, यूनाइटेड किंगडम	08.04.2013
2.	श्री मोहम्मद जिल्लुर रहमान	राष्ट्रपति, बांग्लादेश	20.03.2013
3.	श्री खुर्शीद आलम खान	पूर्व राज्यपाल, गोवा एवं कर्नाटक	20.07.2013
4.	श्री कृष्ण कुमार गोयल	पूर्व सदस्य, तीसरी, चौथी, नौवीं, रा.वि.स.	23.04.2013
5.	श्री धनराज मीणा	पूर्व सदस्य, आठवीं, रा.वि.स.	16.05.2013
6.	श्री द्वारका प्रसाद बैरवा	पूर्व सदस्य, सातवीं रा.वि.स.	23.07.2013
7.	श्री रतनलाल वर्मा	पूर्व सदस्य, छठी, रा.वि.स.	25.03.2013
8.	श्री आर.पी. गोयनका	पूर्व सांसद, राज्य सभा	14.04.2013
9.	उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा में मारे गये व्यक्तियों के प्रति संवेदना		16.06.2013
10.	बिहार के धमारा रेल्वे स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के प्रति संवेदना		19.08.2013

✧✧✧